निग०-42 /2018 /सतना/भू रा०

(378) (254)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा म.प्र.

विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित

1— विमलेश सिंह तनय प्रवीण प्रताप सिंह

2— रूकमणी सिंह पत्नी विनय प्रताप सिंह

दोनों निवासी ग्राम रहिकवारा थाना व तह. नागौद जिला सतना म.प्र.

.................निगरानीकर्तागण

बनाम्

1— मुस. लल्ला सिंह पत्नी इन्द्रपाल सिंह सा. रहिकवारा तह. नागौद जिला सतना म.प्र.

2— शासन म.प्र. द्वारा पटवारी हल्का रहिकवारा तह. नागौर जिला सतना म.प्र.

.......................गैरनिगरानीकर्तागण

अधि० श्री बृजेन्द्र सिंह द्वारा पेश। 11-7-18

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल वृत रहिकवारा/जसो तह. नागौद जिला सतना म.प्र. प्र.क. 17/18 अ 12/16—17 आदेश दिनांक 04.02.2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं—

1— यह कि आदेश अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक वृत रहिकवारा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

2— यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक द्वारा यह प्रमाणित पाते हुए कि आराजी नं. 304/2/2 अथवा आराजी नं. 304 के किसी भी बटांक का वर्तमान मौजूद राजस्व प्रकरण में तरमीम न होने के कारण सर्वप्रथम सहभूमिस्वामियों के मौके के कब्जे दखल अनुसार विधिवत जांच कर नक्शा तरमीम कर खसरा के अनुसार तरमीम स्थान पर सीमांकन कार्यवाही की जानी चाहिए किन्तु अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक द्वारा तत्संबंध में कोई विचार किए बिना नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी 3 का अवलोकन किए बिना प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

........2

विमलेश सिंह

निग0-4277/2018/सतना/भू0रा0

(254)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 4277/4-7/2018 जिला सतना

विमलेश सिंह विरूद्ध ललिता सिंह

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री.................................. अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त [illegible] तहसील नागौद के प्रकरण क्रमांक 17/18 अ-12/16-17 में पारित आदेश दिनांक 4-2-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16-04-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

......2

विमलेश सिंह